न्यायालय–अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सं0–1, अजमेर

पीठासीन अधिकारी– डा. रेनू श्रीवास्तव, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश सवंर्ग)

फौजदारी निगरानी संख्या– 02/2023
सी. आई एस. संख्या– 08/2023

दिलीप मानव पुत्र श्री घासीलाल मानव, उम्र करीबन – 65 वर्ष, निवासी – विज्ञान नगर, अजमेर (राज.)

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक, अजमेर,
2– सोमनाथ ज्योतिषी उर्फ सोमदत्त पुत्र स्व० श्री खरीराम, उम्र करीबन 51 वर्ष, निवासी मोची मौहल्ला, गोविन्दगढ, थाना पीसांगन, जिला अजमेर ।
3– कालू खान पुत्र श्री देवी खान, उम्र करीबन 20 वर्ष, निवासी आखरिया मौहल्ला, ग्राम सोमलपुर, पुलिस थाना रामगंज, अजमेर ।

.....गैरनिगरानीकर्तागण

फौजदारी निगरानी अंतर्गत धारा 397 द.प्र.सं, आदेश विरूद्ध दिनांक 29–09–2022 जो न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 4, अजमेर द्वारा एफ आई आर संख्या–289/2015, सी आई एस नम्बर – 33 / 2021 घासीलाल बनाम सरकार में प्रस्तुत परिवाद को स्वीकार किये जाने योग्य नहीं मानते हुऐ अंतर्गत धारा 203 द प्र सं. के तहत अस्वीकार कर खारिज किये जाने से।

उपस्थिति–
1. श्री अनिल शर्मा, अधिवक्ता निगरानीकर्ता की ओर से।
2. अपर लोक अभियोजक, गैर निगरानीकर्ता सं. 1 की ओर से,
3. गैर निगरानीकर्ता सं. 2 की ओर से श्री महेश शर्मा उपस्थित।
4. गैर निगरानीकर्ता सं. 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

आदेश दिनांक 17–03–2026

निगरानीकर्ता की ओर से यह निगरानी याचिका माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अजमेर के समक्ष उसके अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई, जो

Authenticated Document

कालान्तर में अन्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। निगरानीकर्ता द्वारा आदेश दिनांक 29.09.2022, जिसके जरिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत परिवाद को स्वीकार किये जाने योग्य नहीं मानते हुऐ अंतर्गत धारा 203 द प्र सं. के तहत अस्वीकार कर खारिज किया, जिस आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई है।

2– निगरानी याचिका पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा निगरानी का यह आधार बताया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुलिस द्वारा दौराने अनुसंधान छोड़ी गई कमियों पर कोई गौर नहीं किया है, जब कि अभियुक्त द्वारा पीसांगन के ए. टी. एम. से दिनांक 06–12–2015 को समय करीबन 12.30 से 1.03 पी. एम. के बीच रूपये निकाले गये, जो ए.टी.एम. परिवादी के घर से चोरी किया गया, 25,000 /– रूपये की निकासी की गई। कैमरे की फुटेज आदि की एफ.एस.एल. आदि नहीं करवाई गई। चोरी हुये दस्तावेज भी अभियुक्त सोमनाथ के पास होना पाये जाने पर भी पुलिस द्वारा उसे नजर अंदाज किया गया है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी उक्त बिन्दुओं पर गौर किये बिना प्रोटेस्ट खारिज कर एफ.आर. स्वीकार कर ली गई है।

3– विपरीत पक्ष द्वारा उक्त तर्को का खण्डन किया गया।

4– उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया, पत्रावली पर प्राप्त संक्षिप्त तथ्यों के मुताबिक दिनांक 06.12.2015 की घटना होना परिवादी द्वारा जाहिर किया गया, जिस दिन वह नालियों का उद्घाटन करने के लिये पंचवटी कॉलोनी, आदर्शनगर, अजमेर में भदेल, राज्य मंत्री के साथ था, तभी करीब 10.15 बजे एक आदमी आया और परिवादी की लड़की को कहने लगा वह भारती ऑफिस से आया है व उसके पिताजी से बात करना चाहता है। परिवादी की बेटी ने उससे कहा कि उसके पिताजी मीटिंग में व्यस्त है। परिवादी के सोने के कमरे में रसोई व एक संदूक लोहे की पड़ी थी, जिसमें परिवादी के बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के दोनों बैंको के मोबाईल नम्बर और संकेत के दोनों के कोड नम्बर लिखे हुये थे व परिवादी की आवश्यक फाईले पड़ी थी, और उसका मोबाईल पड़ा था, संदूक व परिवादी का मोबाईल लेकर वह, वहां से भाग गया। उक्त सूचना पर पुलिस द्वारा किये गये अनुसंधान के मुताबिक अनुसंधानाधिकारी द्वारा अंतिम प्रतिवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि मुस्तगीस द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई, जब न्यायालय द्वारा अदम पता माल मुलजिमान में प्रस्तुत एफ. आर.

Authenticated Document

स्वीकार कर ली गई। उक्त आदेश प्रकरण में सन् 2011 में किये गये थे, तत्पश्चात् परिवादी ने 2019 में पुनः मामले को रि-ओपन करने हेतु कार्यवाही की। अनुसंधानाधिकारी द्वारा यह पाया गया चूंकि पुनः की जाने वाली कार्यवाही में आरोपी सोमदत्त का नाम मुस्तगीस द्वारा दर्ज किया गया, जो कि मुस्तगीस का सगा भतीजा है और मुस्तगीस की पुत्री सुमित्रा आवश्यक रूप से सोमनाथ को पहचानती होगी, परन्तु पूर्व परिवाद में परिवादी द्वारा उक्त का नाम दर्ज नहीं किये जाने का कोई कारण नहीं बताया गया। सम्पूर्ण अनुसंधान में सोमनाथ का मामले में सरीक नहीं होना अनुसंधानाधिकारी द्वारा पाया गया। यह भी अनुसंधानाधिकारी द्वारा दर्ज किया गया कि मुस्तगीस एवं तथाकथित आरोपी सोमदत्त के गांव में संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद के कारण ही दिनांक 16.11.2019 को पुनः परिवाद पेश कर आरोपी का नाम अंकित करते हुऐ झूंठा परिवाद पेश किया गया। मुस्तगीस ने प्रकरण संख्या 86/2019, अंतर्गत धारा 448, 379 भा दं सं. भी सोमदत्त उर्फ सोमनाथ के विरूद्ध दर्ज करवाया गया था और उस अनुसंधान के दौरान मुस्तगीस के पते की तस्दीक के लिये सोमनाथ द्वारा जाँच अधिकारी से मुस्तगीस के आधार कार्ड नंबर लेकर ई-मित्र संचालक गौतम कुमावत से फोटो प्रति दस्तावेजात प्राप्त कर अनुसंधानाधिकारी को पेश किये थे, जिसका विवरण अनुसंधानाधिकारी ने नतीजा रिपोर्ट में अंकन किया है। गोविन्दगढ़ स्थित गौतम ईमित्र संचालक से दस्तावेज तस्दीक कर लिये गये, ईमित्र के माध्यम से दस्तावेज निकलवाने की सुविधा किसी भी आमजन को है, जो अपने दस्तावेज इन्टरनेट के माध्यम से निकलवा सकता है।

5- यहाँ पर यह गौर तलब तथ्य है कि परिवादी द्वारा घटना कारित करने वाले व्यक्ति को स्वयं का सगा भतीजा सोमदत्त होना बताया है, यदि सोमदत्त घटना की दिनांक को परिवादी के घर पर चोरी के आशय से पहुंचा था तो ऐसी स्थिति में परिवादी की बच्ची सोमदत्त को नहीं पहचानती हों, यह किसी प्रकार से स्वाभाविक नहीं है। वक्त घटना मौके पर अन्य गवाहान मौजूद हो, ऐसा कोई कथन परिवादी ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं किया है। अतः परिवादी द्वारा पेश किये गये गवाहान मौके के चश्मदीद साक्षी हो यह भी प्रकट नहीं होता है। मुलजिम द्वारा सन्दूक से परिवादी के बैंक से संबंधित कागजात या अन्य जरूरी कागजात रखे हो, इस संबंध में मुलजिम को जानकारी हो, ऐसा कोई तथ्य परिवादी की ओर से प्रकट नहीं किया गया है। साथ ही परिवादी ने यह भी अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं किया है कि उक्त तथाकथित चोरी शुदा सन्दूक में परिवादी का ए.टी.एम. भी मौजूद हों। मोबाईल रेलवे लाईन के आस-पास पाया गया है, उत मोबाईल को कालूखान द्वारा ही चोरी किया गया या चोरी शुदा मोबाईल को सोमदत्त द्वारा कालू खान को दिया गया हो, ऐसी कोई स्पष्ट साक्ष्य प्रथम दृष्टया पत्रावली पर पेश नहीं की गई है। कालूखां की जानकारी में यह रहा हों कि बरामद शुदा मोबाईल चोरीशुदा है, ऐसी कोई साक्ष्य परिवादी की ओर

Authenticated Document

से पत्रावली पर पेश नहीं की गई है। परिवादी ने गवाह दिलीप मानव, पी. डब्ल्यू. 1 और रजनी, पी. डब्ल्यू. 2 तथा देवेन्द्र सक्सेना, पी. डब्ल्यू. 3 को मामले में परीक्षित करवाया, जिन्होंने वक्त घटना सोमदत्त के साथ एक अन्य साथी का मौके पर पहुंचना बताया है, परन्तु प्रथमतः परिवाद में परिवादी ने ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं बताया है कि दो व्यक्ति मौके पर पहुचें हों, जिनमे से एक व्यक्ति सोमदत्त हो। परिवादी की पुत्र सुमित्रा के बयान मामले में महत्वपूर्ण थे, जो लेखबद्ध नहीं करवाऐ गऐ। परिवादी एवं गवाहान के बयानों में गम्भीर विरोधाभास है, समस्त गवाहान वक्त घटना मौके पर मौजूद रहें हों, ऐसा कोई तथ्य परिवादी ने साक्ष्य में प्रकट नहीं किया है, साथ ही उक्त गवाहान मौके पर मौजूद हो और घटना के संदर्भ में उन्हें जानकारी हो ऐसा कोई तथ्य दर्ज नहीं किया है।

6– अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तमाम बिन्दूओं पर स्पष्ट रूप से गौर करते हुऐ अपना प्रश्नगत आदेश पारित किया है, प्रथम दृष्टया अभियुक्त के विरूद्ध कोई अपराध प्रमाणित होता हो, यह पत्रावली पर मौजूद तथ्य परिस्थितियों एवं साक्ष्य से प्रकट नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त समस्त तथ्यों परिस्थितियों के मध्येनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी भी प्रकार की त्रुटी होना प्रकट नहीं होता है। जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांकित 29.09.2022 पुष्ट किये जाने योग्य है।

7– परिणामस्वरूप निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी याचिका अस्वीकार करते हुऐ खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एफ आई आर संख्या–289/2015 बउनवान घासीलाल बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांकित 29.09.2022 की पुष्टी की जाती है।

आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब लौटाई जावे।

(डा. रेनू श्रीवास्तव)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं. 1, अजमेर

8– आदेश आज दिनाक 17 मार्च, 2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Authenticated Document

(डा. रेनू श्रीवास्तव)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं. 1, अजमेर

SHAILENDRA KRISHANA PAREEK

Digitally signed by SHAILENDRA KRISHANA PAREEK
Date: 2026.03.20 09:58:40 +0530

Authenticated Document